ऑन लाईन नं. RCMS 2020/23

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 01/2021

राज्य सरकार जरिये श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी (अभि.) श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

श्री शंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द नंबरदार धर्मकांटा के पास ग्राम पचांयत (मुख्यालय) अरायण स्थित स्पेयर पार्टस, की दुकान तहसील श्रीकरनपुर

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अधिवक्ता अप्रार्थी शिवप्रकाश कालडा।

निर्णय **दिनांक : 05.04.2022**

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार जरिये श्री विजेन्द्र पाल, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 ए आ0व0अधि0 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि दिनांक 04.02.2021. को सूचना मिलने पर श्री राकेश कुमार सोनी, जिला रसद अधिकारी, हमराह श्रीसंदीप गौड़ प्रवर्तन अधिकारी, श्रीकरणपुर व श्रीमती सरोज बिश्नोई प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर ग्रांम पंचायत अरायण तहसील क्षेत्र श्रीकरनपुर स्थित श्री शंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द के स्पेयर पार्टस् की दुकान पर श्री मांगीराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति नायक निवासी अरायण उपस्थित मिले। इन्होने स्वयं को दुकान का कर्मचारी होना बताया तथा दुकान मालिक का नाम श्री शंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द , जाति अरोड़ा निवासी अरायण तहसील श्रीकरनपुर व जिला श्रीगंगानगर होना बताया। दुकान में स्पेयर पार्ट्स का कार्य हो रहा था। दुकान के पीछे की दीवार पर एक शटर लगा हुआ था। इस शटर पर सेंट्रल लॉक लगा हुआ था, इस लॉक की चाबी मांबने पर मांगीराम ने बताया कि चाबी उसके पास नहीं है। दुकान के पीछे एक नोहरा बना हुआ है उस नोहरे से अंदर जाने पर एक कमरा बना हुआ है जिस पर भी लॉक लगा हुआ है इस लॉक की चाबी मांगीराम के पास मिली। ताला खोलने पर इस कमरे के अंदर एक शटर लगा था जो स्पेयर पार्ट्स वाली दुकान में खुलता है। इस कमरे में मांगीराम व गांव के ही श्री ओमप्रकाश सोलंकी पुत्र श्री गणपतराम जाति मेघवाल निवासी अरायण एव श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री मनजीत सिंह जाति बांवरी निवासी अरायण व हाल ग्राम पंचायत सहायक अरायण की मौजूदगी में निरीक्षण किया। मौके पर जांच के दौरान कमरे में 03 प्लास्टिक के ड्रम , प्लास्टिक के सात 60 लीटर वाले कैन, प्लास्टिक की 30 लीटर वाली तीन कैनी, कुल 5 माप एक 10 लीटर दो 5–5 लीटर, एक 2 लीटर व एक 1 लीटर का है, रखे मिले। तीन लोहे की कीप व एक प्लास्टिक की कीप भी रखी मिली। तीन लोहे की कीप व एक प्लास्टिक की कीप भी रखी मिली। प्लास्टिक के ड्रमो में से एक ड्रम पर हस्तचलित पंप भी लगा हुआ था। कमरे में एक बिजली की मोटर जिसको मोडिफाई कर गैंस रिफिलिंग करने में उपयोग करने हेतु बनाया हुआ था, रखी मिली व इस मोटर के साथ दो प्लास्टिक के पाइप जुडी मिली, एक पाईप पर

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रेग्यूलेटर व एक पर नोजल लगी मिली। साथ ही इसी कमरे में दो घरेलू अनुदानित गैंस सिलेण्डर एच.पी.सी. गैंस कम्पनी के सीलबंद रखे मिले। प्लास्टिक के ड्रमों व कैनी को चेक करने पर इनमें से डीजल की गंध आ रही थी। मौके पर मांगीराम ने बताया कि इनमें डीजल व पैट्रोल है। जांच करने पर एक ड्रम में 100 लीटर डीजल व शेंष दोनों ड्रम खाली है। एक 60 लीटर प्लास्टिक कैन डीजल से पूरा भरा हुआ मिला। प्लास्टिक की 30–30 लीटर वाली कैनियों में 20–20 लीटर कुल 60 लीटर डीजल, इस प्राकर कुल 220 लीटर डीजल मिली। एक 60 लीटर वाली कैनी में 25 लीटर पैट्रोल भी मिला। मौके पर बरामद डीजल व पैट्रोल का माप दुकान में उपलब्ध मीटर गेज के नापों से ही किया गया। दुकान में रखे शेष प्लास्टिक कैन 5 लीटर क्षमता वाले खाली मिले। डीजल व पैट्रोल के बारे में पुछने पर मांगीराम ने बताया कि डीजल व पैट्रोल निकटवर्ती राज्य पंजाब में राजस्थान की तुलना में सस्ता मिलता है, इसलिए व्यक्तिगत आमदनी हेतु व पंजाब से डीजल व पैट्रोल लाकर 5 रूप्ये प्रति लीटर ग्रामीणों में संस्ता विकय करते है। साथ ही जांच के दौरान डीजल व पैट्रोल की बिकी का हिसाब–किताब लिखा एक रजिस्टर भी मिला। चूंकि पैट्रोल एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आसपास की जानमाल की हानि होने का खतरा है, इस सम्बन्ध में मौके पर दुकानदार मांगीराम से डीजल व पैट्रोल बिकी से सम्बन्धित कोई वैध कागजात मांगने पर उसके द्वारा ऐसा कोई कागजात मोके पर नहीं दिया गया। अतः मौके पर अवैध रूप से डीजल व पैट्रोल की बिकी करता पाए जाने पर मांगीराम के पास दुकान से मिला समस्त 220 लीटर डीजल 25 लीटर पैट्रोल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, प्लास्टिक के सात कैन 60 लीअर क्षमता , प्लास्टिक की 30 लीटर क्षमता वाली 3 केनी कुल 5 माप , 3 लोहे की कीप व एक प्लास्टिक कीप व एक हस्तलिखित पम्प मय हिसाब–किसाब रजिस्टर को जब्त सरकार किया गया। इसके साथ ही दुकान में ही पाए गए दो सीलबंद गैंस सिलेण्डर एच.पी.सी. सीलबंद व अवैध गैंस रिफिल मोटर के उपयोग करता पाए जाने पर मांगीराम से पुछने पर उसके द्वारा गैंस रिफलिंग के सम्बन्ध में भी कोई वैध दस्तावेज मौके पर नहीं दिया गया। इस कारण अवैध रिफिलिंग करने के कारण विद्युत चलित गैंस रिफिल मोटर मय दो प्लास्टिक पाईप, एक रेगुलेटर, एक नोजल व दो घरेलू अनुदानित गैंस सिलेण्डर एच.पी.सी. गैंस कम्पनी को जब्त सरकार किया गया। जांच दल को जांच में श्री शंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द के स्पेयर पार्टस् की दुकान पर मिली सामग्री तथा 25 लीटर पैट्रोल व 220 लीटर डीजल मय तीन प्लास्टिक केन 60 लीटर वाले, तीन प्लास्टिक कैनी 30 लीटर वाली, पांच माप (10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर) तीन लोहे की कीप, एक प्लास्टिक कीप, एक हस्सचलित पम्प सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर बुलाये गये। श्री सतपाल सिंह बराड़ पुत्र श्री जलंधर सिंह, निवासी अरायण तहसील श्रीकरनपुर व जिला श्रीगंगानगर को सुपुर्दगीनामा तैयार कर उनकी सहमति उपरांत दिया गया। जांच दल को जांच में श्री शंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द की स्पेयर पार्टस की दुकान पर मिली सामग्री यथा 02 घरेलू अनुदानित सीलबंद गैंस सिलंण्डर (एचपीसी) 01 विद्युत चलित गैंस रिफिलिंग मोटर मय 02 प्लास्टिक पाईप , 1 रेग्यूयलेटर व 1 नोजल को सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर बुलाये गये श्री रविकुमार पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह, निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर व जिला श्रीगंगानगर को सुपुर्दगीनामा तैयार कर उनकी सहमति उपरांत दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि श्रीशंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द जाति अरोड़ा निवासी अरायण तहसील श्रीकरनपुर व जिला श्रीगंगानगर व अन्य द्वारा उक्त कृत्य कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी Motor Spirit & High Speed Diesel (REGUKLATION OF SUPPLIES AND DISTRIBUTION and Prevention lof Malpractices) ORDER,2005 की धारा 2 (च) UPPL (थ)(द),3 (4,6) 4 व LPG (REGUKLATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(वी)(सी) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः वरवक्त जांच जब्तशुदा समस्त सामग्री यथा 25 लीटर पैट्रोल व 220 लीटर डीजल मय तीन प्लास्टिक केन

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

60 लीटर वाले, तीन प्लास्टिक कैनी 30 लीटर वाली, पांच माप (10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर) तीन लोहे की कीप, एक प्लास्टिक कीप, एक हस्सचलित पम्प व 02 घरेलू अनुदानित सीलबंद गैंस सिलंण्डर (एचपीसी) 01 विद्युत चलित गैंस रिफिलिंग मोटर मय 02 प्लास्टिक पाईप , 1 रेग्यूयलेटर व 1 नोजल को राजसात करने का कष्ट करें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी के खिलाफ संज्ञान लिया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जबाब नोटिस पेश कर अंकित किया कि नोटिस में वर्णित तथ्य झूठे व बेबुनियाद है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में कथन किया है कि अप्रार्थी की दुकान से 25 लीटर पैट्रोल व 220 लीटर डीजल, 2 घरेलू गैंस सिलेण्डर बरामद होना अंकित किया गया है जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी दुकान के साथ साथ कृषि कार्य भी करता है। कृषि कार्य के लिए प्रार्थी को टैक्टर के लिये डीजल की आवश्यकता होती है। प्रार्थी द्वारा मात्र 220 लीटर डीजल अपने पास रखा था जबकि कोई भी किसान 2500 लीटर डीजल अपने पास रख सकता है। इसके अलावा 25 लीटर पैट्रोल बरामद होना बताया गया है। प्रार्थी के पास एक कार है , मोटर साईकिल है। कार व मोटर साईकल के लिए पैट्रोल की हर वक्त जरूरत रहती है। इसलिये प्रार्थी ने 25 लीटर पैट्रोल अपने पास रखा था, जिसकी मात्रा भी बहुत कम है। प्रार्थी के कब्जा से जो दो गैंस सिलेण्डर बरामद होना बताये गये , वह प्रार्थी ने अपनी घरेलू जरूरत के लिये रखे हुये है जिसकी पास बुक भी प्रार्थी के नाम से बनी हुई है। जांच रिपोर्ट में जो पाईप, कीप रिफलिंग मशीन वरामद होना बताया है। इनका इस्तेमाल अप्रार्थी अपने वाहनों में डीजल, पैट्रोल डालने के लिये करता है। जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी के विरूद्व अन्य आरोप झूठे व बुनियाद लगाये है। प्रार्थी एक दुकानदार है और दुकान के साथ साथ कृषि कार्य भी करता है। इसलिये प्रार्थी द्वारा रखा गया पैट्रोल , डीजल व गैंस स्लैण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में नहीं आते है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्व धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि राज्य सरकार जरिये श्री विजेन्द्र पाल, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 ए आ0व0अधि0 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। ग्रांम पंचायत अरायण तहसील क्षेत्र श्रीकरनपुर स्थित श्री शंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द के स्पेयर पार्टस् की दुकान पर श्री मांगीराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति नायक निवासी अरायण उपस्थित मिले। इन्होने स्वयं को दुकान का कर्मचारी होना बताया तथा दुकान मालिक का नाम श्री शंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द , जाति अरोड़ा निवासी अरायण तहसील श्रीकरनपुर व जिला श्रीगंगानगर होना बताया। दुकान में स्पेयर पार्ट्स का कार्य हो रहा था। दुकान के पीछे एक नोहरा बना हुआ है उस नोहरे से अंदर जाने पर एक कमरा बना हुआ है जिस पर भी लॉक लगा हुआ है इस लॉक की चाबी मांगीराम के पास मिली। ताला खोलने पर इस कमरे के अंदर एक शटर लगा था जो स्पेयर पार्ट्स वाली दुकान में खुलता है। मौके पर जांच के दौरान कमरे में 03 प्लास्टिक के ड्रम , प्लास्टिक के सात 60 लीटर वाले कैन, प्लास्टिक की 30 लीटर वाली तीन कैनी, कुल 5 माप एक 10 लीटर दो 5–5 लीटर, एक 2 लीटर व एक 1 लीटर का है, रखे मिले। तीन लोहे की कीप व एक प्लास्टिक की कीप भी रखी मिली। तीन लोहे की कीप व एक प्लास्टिक की कीप भी रखी मिली। प्लास्टिक के ड्रमो में से एक ड्रम पर हस्तचलित पंप भी लगा हुआ था। कमरे में एक बिजली की मोटर जिसको मोडिफाई कर गैंस रिफिलिंग करने में उपयोग करने हेतु बनाया हुआ था, रखी मिली व इस मोटर के साथ दो प्लास्टिक के पाइप जुडी मिली, एक पाईप पर रेग्यूलेटर व एक पर नोजल लगी मिली। साथ ही इसी कमरे

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.) *

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

में दो घरेलू अनुदानित गैंस सिलेण्डर एच.पी.सी. गैंस कम्पनी के सीलबंद रखे मिले। प्लास्टिक के ड्रमों व कैनी को चेक करने पर इनमें से डीजल की गंध आ रही थी। मौके पर मांगीराम ने बताया कि इनमें डीजल व पैट्रोल है। जांच करने पर एक ड्रम में 100 लीटर डीजल व शेंष दोनों ड्रम खाली है। एक 60 लीटर प्लास्टिक कैन डीजल से पूरा भरा हुआ मिला। प्लास्टिक की 30–30 लीटर वाली कैनियों में 20–20 लीटर कुल 60 लीटर डीजल, इस प्राकर कुल 220 लीटर डीजल मिली। एक 60 लीटर वाली कैनी में 25 लीटर पैट्रोल भी मिला। मौके पर बरामद डीजल व पैट्रोल का माप दुकान में उपलब्ध मीटर गेज के नापों से ही किया गया। दुकान में रखे शेष प्लास्टिक कैन 5 लीटर क्षमता वाले खाली मिले। डीजल व पैट्रोल के बारे में पुछने पर मांगीराम ने बताया कि डीजल व पैट्रोल निकटवर्ती राज्य पंजाब में राजस्थान की तुलना में सस्ता मिलता है, इसलिए व्यक्तिगत आमदनी हेतु व पंजाब से डीजल व पैट्रोल लाकर 5 रूप्ये प्रति लीटर ग्रामीणों में संस्ता विकय करते है। चूंकि पैट्रोल एक अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आसपास की जानमाल की हानि होने का खतरा है। इस सम्बन्ध में मौके पर दुकानदार मांगीराम से डीजल व पैट्रोल बिकी से सम्बन्धित कोई वैध कागजात मांगने पर उसके द्वारा ऐसा कोई कागजात मोके पर नहीं दिया गया। अतः मौके पर अवैध रूप से डीजल व पैट्रोल की बिकी करता पाए जाने पर मांगीराम के पास दुकान से मिला समस्त 220 लीटर डीजल 25 लीटर पैट्रोल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, प्लास्टिक के सात कैन 60 लीअर क्षमता , प्लास्टिक की 30 लीटर क्षमता वाली 3 केनी कुल 5 माप , 3 लोहे की कीप व एक प्लास्टिक कीप व एक हस्तलिखित पम्प मय हिसाब–किसाब रजिस्टर को जब्त सरकार किया गया। इसके साथ ही दुकान में ही पाए गए दो सीलबंद गैंस सिलेण्डर एच.पी.सी. सीलबंद व अवैध गैंस रिफिल मोटर के उपयोग करता पाए जाने पर मांगीराम से पुछने पर उसके द्वारा गैंस रिफलिंग के सम्बन्ध में भी कोई वैध दस्तावेज मौके पर नहीं दिया गया। इस कारण अवैध रिफिलिंग करने के कारण विद्युत चलित गैंस रिफिल मोटर मय दो प्लास्टिक पाईप, एक रेगुलेटर, एक नोजल व दो घरेलू अनुदानित गैंस सिलेण्डर एच.पी.सी. गैंस कम्पनी को जब्त सरकार किया गया। श्रीशंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द जाति अरोड़ा निवासी अरायण तहसील श्रीकरनपुर व जिला श्रीगंगानगर व अन्य द्वारा उक्त कृत्य कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी Motor Spirit & High Speed Diesel (REGUKLATION OF SUPPLIES AND DISTRIBUTION and Prevention lof Malpractices) ORDER,2005 की धारा 2 (च)(VI)(VII)(थ)(द),3 (4,6) 4 व LPG (REGUKLATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः वरवक्त जांच जब्तशुदा समस्त सामग्री यथा 25 लीटर पैट्रोल व 220 लीटर डीजल मय तीन प्लास्टिक केन 60 लीटर वाले, तीन प्लास्टिक कैनी 30 लीटर वाली, पांच माप (10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर) तीन लोहे की कीप, एक प्लास्टिक कीप, एक हस्सचलित पम्प व 02 घरेलू अनुदानित सीलबंद गैंस सिलंण्डर (एचपीसी) 01 विद्युत चलित गैंस रिफिलिंग मोटर मय 02 प्लास्टिक पाईप , 1 रेग्यूयलेटर व 1 नोजल को राजसात करने का कष्ट करें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि नोटिस में वर्णित तथ्य झूठे व बेबुनियाद है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में कथन किया है कि अप्रार्थी की दुकान से 25 लीटर पैट्रोल व 220 लीटर डीजल, 2 घरेलू गैंस सिलेण्डर बरामद होना अंकित किया गया है जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी दुकान के साथ साथ कृषि कार्य भी करता है। कृषि कार्य के लिए प्रार्थी को टैक्टर के लिये डीजल की आवश्यकता होती है। प्रार्थी द्वारा मात्र 220 लीटर डीजल अपने पास रखा था जबकि कोई भी किसान 2500 लीटर डीजल अपने पास रख सकता है। इसके अलावा 25 लीटर पैट्रोल बरामद होना बताया गया है। प्रार्थी के पास एक कार है , मोटर साईकिल

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

है। कार व मोटर साईकल के लिए पैट्रोल की हर वक्त जरूरत रहती है। इसलिये प्रार्थी ने 25 लीटर पैट्रोल अपने पास रखा था, जिसकी मात्रा भी बहुत कम है। प्रार्थी के कब्जा से जो दो गैंस सिलेण्डर बरामद होना बताये गये , वह प्रार्थी ने अपनी घरेलू जरूरत के लिये रखे हुये है जिसकी पास बुक भी प्रार्थी के नाम से बनी हुई है। जांच रिपोर्ट में जो पाईप, कीप रिफलिंग मशीन वरामद होना बताया है। इनका इस्तेमाल अप्रार्थी अपने वाहनों में डीजल, पैट्रोल डालने के लिये करता है। जांच रिपोर्ट में अप्रार्थी के विरूद्व अन्य आरोप झूठे व बुनियाद लगाये है। प्रार्थी एक दुकानदार है और दुकान के साथ साथ कृषि कार्य भी करता है। इसलिये प्रार्थी द्वारा रखा गया पैट्रोल , डीजल व गैंस स्लैण्डर आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में नहीं आते है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्व धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 04.02.2021. को सूचना मिलने जांच हेतु ग्रांम पंचायत अरायण तहसील क्षेत्र श्रीकरनपुर स्थित श्री शंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द के स्पेयर पार्टस् की दुकान पर पहुंचे। वहां पर श्री शंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द के स्पेयर पार्टस् की दुकान पर श्री मांगीराम पुत्र श्री रामचन्द्र जाति नायक निवासी अरायण उपस्थित मिले। इन्होने स्वयं को दुकान का कर्मचारी होना बताया तथा दुकान मालिक का नाम श्री शंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द , जाति अरोड़ा निवासी अरायण तहसील श्रीकरनपुर व जिला श्रीगंगानगर होना बताया। दुकान में स्पेयर पाट्र्स का कार्य हो रहा था। दुकान के पीछे की दीवार पर एक शटर लगा हुआ था। इस शटर पर सेंट्रल लॉक लगा हुआ था।मौके पर जांच के दौरान कमरे में 03 प्लास्टिक के ड्रम , प्लास्टिक के सात 60 लीटर वाले कैन, प्लास्टिक की 30 लीटर वाली तीन कैनी, कुल 5 माप एक 10 लीटर दो 5–5 लीटर, एक 2 लीटर व एक 1 लीटर का है, रखे मिले। तीन लोहे की कीप व एक प्लास्टिक की कीप भी रखी मिली। तीन लोहे की कीप व एक प्लास्टिक की कीप भी रखी मिली। प्लास्टिक के ड्रमो में से एक ड्रम पर हस्तचलित पंप भी लगा हुआ था। कमरे में एक बिजली की मोटर जिसको मोडिफाई कर गैंस रिफिलिंग करने में उपयोग करने हेतु बनाया हुआ था, रखी मिली व इस मोटर के साथ दो प्लास्टिक के पाइप जुडी मिली, एक पाईप पर रेग्यूलेटर व एक पर नोजल लगी मिली। साथ ही इसी कमरे में दो घरेलू अनुदानित गैंस सिलेण्डर एच.पी.सी. गैंस कम्पनी के सीलबंद रखे मिले। प्लास्टिक के ड्रमों व कैनी को चेक करने पर इनमें से डीजल की गंध आ रही थी। मौके पर मांगीराम ने बताया कि इनमें डीजल व पैट्रोल है। जांच करने पर एक ड्रम में 100 लीटर डीजल व शेंष दोनों ड्रम खाली है। एक 60 लीटर प्लास्टिक कैन डीजल से पूरा भरा हुआ मिला। प्लास्टिक की 30–30 लीटर वाली कैनियों में 20–20 लीटर कुल 60 लीटर डीजल, इस प्राकर कुल 220 लीटर डीजल मिली। एक 60 लीटर वाली कैनी में 25 लीटर पैट्रोल भी मिला। जांच के दौरान डीजल/पेट्रोल बिक्री करने का हिसाब–किताब के एक रजिस्टर भी पाया गया। श्रीशंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द जाति अरोड़ा निवासी अरायण तहसील श्रीकरनपुर व जिला श्रीगंगानगर व अन्य द्वारा उक्त कृत्य कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी Motor Spirit & High Speed Diesel (REGUKLATION OF SUPPLIES AND DISTRIBUTION and Prevention lof Malpractices) ORDER,2005 की धारा 2(च)(VI)(VII) (थ)(द),3 (4,6) 4 व LPG (REGUKLATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः वरवक्त जांच जब्तशुदा समस्त सामग्री यथा 25 लीटर पैट्रोल व 220 लीटर डीजल मय तीन प्लास्टिक केन 60 लीटर वाले, तीन प्लास्टिक कैनी 30 लीटर वाली, पांच माप (10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर) तीन लोहे की कीप, एक प्लास्टिक कीप, एक हस्सचलित पम्प व 02 घरेलू अनुदानित सीलबंद गैंस सिलंण्डर (एचपीसी) 01 विद्युत चलित गैंस रिफिलिंग मोटर मय 02 प्लास्टिक पाईप , 1 रेग्यूयलेटर व 1

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नोजल को मौके पर जब्त कर सतपाल सिंह बराड़ पुत्र श्री जलंधर सिंह, निवासी अरायण तहसील श्रीकरनपुर व जिला श्रीगंगानगर को सुपुर्दगीनामा तैयार कर उनकी सहमति उपरांत दिया गया। जांच दल को जांच में श्री शंकर सुखीजा पुत्र श्री टेकचन्द की स्पेयर पार्टस की दुकान पर मिली सामग्री यथा 02 घरेलू अनुदानित सीलबंद गैंस सिलंण्डर (एचपीसी) 01 विद्युत चलित गैंस रिफिलिंग मोटर मय 02 प्लास्टिक पाईप , 1 रेग्यूयलेटर व 1 नोजल को सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर बुलाये गये श्री रविकुमार पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह, निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर

अतः अप्रार्थी द्वारा डीजल/पट्रोल की अवैध भण्डारण/संग्रहण/विक्री अवैध कारोबार करके आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी Motor Spirit & High Speed Diesel (REGUKLATION OF SUPPLIES AND DISTRIBUTION and Prevention lof Malpractices) ORDER,2005 की धारा 2(च)(VI)(VII) (थ)(द),3 (4,6) 4 व LPG (REGUKLATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः जव्त 25 लीटर पैट्रोल व 220 लीटर डीजल मय तीन प्लास्टिक केन 60 लीटर वाले, तीन प्लास्टिक कैनी 30 लीटर वाली, पांच माप (10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर व 1 लीटर) तीन लोहे की कीप, एक प्लास्टिक कीप, एक हस्सचलित पम्प व 02 घरेलू अनुदानित सीलवंद गैंस सिलंण्डर (एचपीसी) 01 विद्युत चलित गैंस रिफिलिंग मोटर मय 02 प्लास्टिक पाईप , 1 रेग्यूयलेटर व 1 नोजल एवं 02 घरेलू अनुदानित सीलबंद गैंस सिलंण्डर (एचपीसी) 01 विद्युत चलित गैंस रिफिलिंग मोटर मय 02 प्लास्टिक पाईप , 1 रेग्यूयलेटर व 1 नोजल को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(भवानी सिंह पंवार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर